भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 600

जिसका उत्तर 25.07.2024 को दिया जाना है

ग्रीनफील्ड हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग - 744

600. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रनः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का एनएच-744 ग्रीन फील्ड हाईवे के विकास को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या केरल सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य के हिस्से के योगदान से छूट के लिए अनुरोध किया है और यदि हां तो दिये गए अनुरोध की तारीख सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने एनएच-744 के निर्माण के संबंध में जीएसटी और रॉयल्टी में छूट के लिए केरल सरकार से अनुरोध किया है और यदि हां, तो अनुरोध की तारीख सहित तत्संबंधी व्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या केरल सरकार ने इस अनुरोध का उत्तर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का अधिग्रहित भूमि के लिए भूमि मालिकों को मुआवजा देने के लिए आगे की कार्रवाई शुरू करने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत प्रक्रिया है तथा परियोजना कार्यान्वयन में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सरकार ने केरल राज्य सहित देश में राष्ट्रीय राजमार्ग पर परियोजना में तेजी लाने के लिए विभिन्न पहल की हैं। उक्त कार्य के लिए डीपीआर सौंप दिया गया है। डीपीआर, वैधानिक मंजूरी तथा निर्माण-पूर्व गतिविधियों के पूर्ण होने के पश्चात सिविल कार्य प्रदान किया जा सकता है, जो अनुमानित यातायात, तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता, निधियों की उपलब्धता तथा पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

(ख) से (घ) केरल सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए 25% राज्य अंशदान से छूट का अनुरोध किया है। मंत्रालय ने केरल सरकार से परियोजना में जमीन/शिलाखंड पर रॉयल्टी में छूट तथा राज्य जीएसटी घटकों की प्रतिपूर्ति की संभावना तलाशने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार से स्वीकृति दिनांक 16.07.2024 के माध्यम से प्राप्त हो चुकी है।

(ङ) भूमि अधिग्रहण सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 3जी के अंतर्गत काम सौंपे की घोषणा तथा परियोजना की स्वीकृति के पश्चात भूमि स्वामियों को मुआवजा भुगतान आरंभ किया जा सकता है।

*****